न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—27/2013 दायर दिनांक:—23.05.2013

जीसीएमएस नं. 2016/00040

1. भरतसिंह आयु 67 साल पुत्र श्री उन्नी
2. सुमेरसिंह आयु 47 साल पुत्र श्री मदनसिंह
3. शिवचरण आयु 42 साल पुत्र श्री भरतसिंह

} जाति गुर्जर निवासी रजीनापुरा तहसील करौली हाल निवासी खेडा तहसील हिण्डौन

———————प्रार्थीगण—03

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थानभू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—1.श्री संतोष कुमार मुदगल वकील प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक 22.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि साबिक आराजीयात खसरा न0 412 रकबा 4 बिस्वा, 423 रकबा 3 बिस्वा, 414 रकबा 9 बिस्वा गैरमुमकिन चाह 408 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 411 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 405 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके सेटिलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटिलमेन्ट ऑपरेशन में नये खसरा न0 452, 444, 476, 455, 450 कायम किये गये। जो ग्राम खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन में है।

प्रार्थना पत्र मद न0 01 में दर्ज भूमि के पूर्व खातेदार नंदराम पुत्र कुलआ, धर्मसिंह, जलहरी, सूरजमल, ल्होरया, पिसरान हरपाल, जलसिंह पुत्र जीवन, हरिसिंह, राजराम पिसरान रामसहाय, सतोखा पुत्र कमल, जाति जाट निवासी खेडाजमालपुर तहसील हिण्डौन साबिक आराजीयात आराजीयात खसरा न0 [illegible] 4 [illegible] ोल का 1/2 भाग, 423 रकबा 3 बिस्वा का 1/2 हिस्सा, 414 रकबा 9 बि[illegible] गैर[illegible]कन चाह 408 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 411 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 405 रकबा 5 बि[illegible] 4/5 भाग के स्वामी व मालिक खातेदार थे तथा पूर्व खातेदारान को जरूरत के वास्ते [illegible]यों की आवश्यकता हो[illegible]रण इस मद मे दर्ज सम्पूर्ण अपना हिस्सा 45,000/—रु नकद प्रार्थीगण व मृतक मदनसिंह से प्राप्त कर विक्रय पत्र तहरीर तकमील करवाकर वहक प्रार्थीगण व मृतक मदन के हक में दिनांक 18.07.1985 को सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहा तस्दीक करा दिया, और दिनांक 18.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

1985 को ही विक्रीत भाग पर मृतक मदनसिंह व प्रार्थीगण को मौके पर बहैसियत मालिक खातेदार कब्जा सम्हला दिया, तभी से मृतक बदनसिंह अपने जीवनकाल में व प्रार्थीगण व मदनसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थीगण बैहैसियत मालिक खातेदार काबिज होकर फसल दर फसल काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। तथा मदनसिंह को दो साल पूर्व स्वर्गवास हो गया है। उसके तरके पर प्रार्थीगण वहैसियत उत्तराधिकारी काबिज एव दखील है।

विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1985 के तस्दीक के समय हिण्डौन में राज्य सरकार की और से चलाये गये ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेंट अधिकारी व कर्मचारियों ने मृतक मदनसिंह व प्रार्थीगण के हक में रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र तारीखी 18.07.1985 के आधार पर परिशोधन पत्र न0 1517 संवत 2042 में मुताबिक रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र तारीखी 18.07.1985 के अनुसार परिशोधन पत्र बहक मृतक मदनसिंह एवं प्रार्थीगण भरा जाकर तस्दीक किया गया। परन्तु उक्त परिशोधन पत्र न0 1517 संवत 2042 तस्दीक होने के पश्चात रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त परिशोधन के अनुसार मृतक मदनसिंह व प्रार्थीगण के नाम व खातेदारी का इंद्राज करते वक्त अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों पटवारी हल्का द्वारा सहवन से या प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने के इरादे से पुराना खसरा न0 408 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसका नया खसरा न0 452 कायम किया है का मृतक मदनसिंह व प्रार्थीगण के हक में दर्ज हिस्सा 4/5 भाग की खातेदारी रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी व अन्य कागजात में दर्ज नहीं की गयी जिसके कारण प्रार्थीगण के हक हकूकों को अत्यधिक हानि होने की पूरी संभावना पैदा हो गयी है।

प्रार्थीगण ने विक्रयपत्र 18.07.1985 के आधार पर सेटिलमेंट विभाग द्वारा परिशोधन पत्र न0 1517 संवत 2042 भरा जाकर तस्दीक किया गया है, के आधार पर जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियां मृतक मदनसिंह व प्रार्थीगण के हक में दर्ज खातेदारी के आधार पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल दिनांक 15.12.12 को प्राप्त करने पर अप्रार्थी के अधिनस्थ पटवारी हल्का द्वारा सहवन से या प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने के इरादे से की गयी गलती खसरा न0 452 का इंद्राज मुताबिक परिशोधन पत्र रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी व अन्य सभी रिकॉर्ड में खसरा न0 452 ग्राम खेडा जमालपुर का इंद्राज करने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का ने मुताबिक परिशोधन पत्र न0 1517 संवत 2042 जमाबंदी व अन्य रेवेन्यु रिकॉर्ड में ख[illegible]52 की प्रविष्टिया प्रार्थीगण के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करने से [illegible] आदेश लाने के लिये कहा इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से [illegible] प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया [illegible]कर अप्रार्थी को आदेश दिये जाने एवं मुताबिक परिशोधन न0 1517 संवत 2042 के अनुसार खसरा न0 452 ग्राम खेडा जमालपुर की प्रविष्टिया रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी व अन्य सभी कागजात मे प्रार्थीगण का नाम बहैसियत मालिक खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जबाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है:-

1. मद स0 1 पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज के अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार है।
2. मद स0 2 आंशिक इस हद तक स्वीकार है कि वादीगण द्वारा पत्रावली में संलग्न पंजीकृत दस्तावेज की प्रस्तुत छायाप्रति मुताबिक अंकित साबिक खसरा नम्बरान का वादीगण हक विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1985 से दर्शित है अन्य तथ्य अस्वीकार है।
3. मद स0 3 अस्वीकार है। क्योंकि पत्रावली में सलग्न प्रतिलिपि खसरा परिशोधन भू प्रबंध विभाग अस्पष्ट है। अन्य तथ्य अस्वीकार है।
4. मद स0 4 अस्वीकार है।
5. मद स0 5 कानूनी है।
6. मद स0 6 कानूनी है।
7. मद स0 7 कानूनी है।
8. मद स0 8 कानूनी है।

वादी द्वारा मा0 न्यायालय में एल आर एक्ट 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत दावा इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा दिनांक 18.07.1985 को जरिये पंजीकृत दस्तावेज साबिक खसरा न0 412, 413 में हिस्सा 1/2 तथा खसरा न0 414, 408, 411, 405 में हिस्सा 4/5 को क्रय किया है जिसका जरिये भू प्रबंध विभाग द्वारा संधारित प्रपत्र परिशोधन स0 1517 संवत 2042 क्रेतगण हक खातेदारी दर्ज करते समय साबिक खसरा न0 408 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसका हाल खसरा न0 452 रकबा 0.51 है0 बना होना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अंकित किया है। मय भु प्रबंध खतौनी खाता संख्या 155 ग्राम खेडा में विक्रतागण नाम दर्ज है। जिसे क्रेतागण हक दर्ज किया जावे। रिपोर्ट आईएलआर वृत्त खेडा व पटवारी खेडा तथा वाद अवलोकन पत्रावली वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशोधन स. 1517 संवत 2042 की अस्पष्ट प्रति संलग्न पत्रावली की है। तथा साबिक खसरा न0 408 व 409 से मिलकर हाल खसरा न0 452 रकवा 0.51 है. मुताविक मिलान क्षेत्रफल है हाल खतौनी भू प्रबंध खाता स0 155 पर अंकित सहखातेदार जो कि विक्रतागण है का हिस्सा 48/51 अंकित है। शेष हिस्सा 3/51 पर अन्य सहखातेदारान प्रहलाद वगै0 अंकित है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 में प्रस्तुत किया जाना अविधिपूर्ण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested

जबाब शामिल पत्रावली किया गया

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल वि[redacted] पत्र दिनांक 18.07.1985, नकल परिशोधन न0 1517 संवत 2042, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नोटिस विधिक पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने

बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने दौराने बहस वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 में प्रस्तुत किया जाना अविधिपूर्ण बताया। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1985, नकल परिशोधन न0 1517 संवत 2042, नकल मिलान क्षेत्रफल है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार हिण्डौन के जवाब का विवेचन करने पर पाया कि परिशोधन पत्र 1517 संवत 2042 के अनुसार खसरा न0 452 ग्राम खेडा जमालपुर की प्रविष्टियां रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी व अन्य सभी कागजात में प्रार्थीगण का नाम बहैसियत मालिक खातेदार दर्ज किये जाने हेतु एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा0 पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। एवं पैराकार सरकार प्रस्तुत जबाब में भी प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 में प्रस्तुत किया जाना अविधिपूर्ण है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजीयात साबिक खसरा न0 412 रकबा 4 बिस्वा, 423 रकबा 3 बिस्वा, 414 रकबा 9 बिस्वा गैरमुमकिन चाह 408 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 411 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 405 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन के नये खसरा न0 452, 444, 476, 455, 450 ग्राम खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:15 IST
Reason: SelfAttested